संख्या 817 / XXIV(1) / 2004

प्रेषक,

एम0 रामचन्द्रन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

कुलपति,
हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय,
श्रीनगर (गढ़वाल)।

कुलपति,
कुमायूं विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

उच्च शिक्षा अनुभाग

देहरादून : दिनांक 29 सितम्बर, 2004

विषय : बी0एड0 पाठ्यक्रम संचालित करने वाली स्ववित्त पोषित संस्थाओं में प्रबन्धकीय कोटे की सीटों पर प्रवेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

निजी स्ववित्त पोषित संस्थाओं में संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2004–2005 में कुल प्रवेश क्षमता का 50 प्रतिशत प्रबन्धकीय कोटा निर्धारित करते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार संस्था द्वारा इस तरह की संस्थाओं के समूह द्वारा आयोजित कराये जाने वाली सामूहिक प्रवेश परीक्षा अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित करायी जा रही प्रवेश परीक्षा से चयनित मैरिट सूची से ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश शासनादेश संख्या–662 / XXIV(1) / 2004, दिनांक 02 अगस्त, 2004 द्वारा दिये गये हैं। विश्वविद्यालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर में लगभग 14,000 तथा कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल में लगभग 10,000 अभ्यर्थी बी0एड0 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, जबकि बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उक्त दोनों विश्वविद्यालयों में क्रमशः 640 एवं 470 की प्रवेश क्षमता स्वीकृत है। प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्रों की संख्या से यह स्पष्ट है कि निजी स्ववित्त पोषित संस्थाओं को अलग से प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है साथ ही अब प्रवेश परीक्षा अलग से कराकर प्रवेश देने हेतु पर्याप्त समय भी उपलब्ध नहीं है, न ही मा0 न्यायालय के दिशा–निर्देशानुसार कोई प्रवेश परीक्षा कराने का प्रस्ताव समय से प्राप्त हुआ है।

2–अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रबन्धकीय कोटे की 50 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के लिए अलग से प्रवेश परीक्षा आयोजित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है। इन निजी स्ववित्त पोषित संस्थाओं द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित करायी गयी प्रवेश परीक्षा से ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा, परन्तु प्रवेश के लिए काउन्सिलिंग सम्बन्धित संस्था द्वारा ही की जायेगी जिसके लिए सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा इस आशय का विज्ञापन दिया जायेगा कि जिन छात्रों ने विश्वविद्यालय में बी0एड0 प्रवेश परीक्षा दी है तथा उनके द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित "कट आफ" से अधिक अंक प्राप्त किये गये हों, वे संस्था में प्रवेश के इच्छुक होने पर आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का विवरण संस्था द्वारा एक रजिस्टर तैयार करके उसमें अंकित किया जायेगा तथा प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित करायी गयी, प्रवेश परीक्षा की मैरिट के आधार पर ही किये जायेंगे। काउन्सिलिंग के समय शासन का प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा तथा समस्त प्रवेश प्रक्रिया का अनुमोदन विश्वविद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

3–उक्त के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–350/1993 इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजूकेशन तथा अन्य बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य में दिनांक 14–8–2003 को पारित आदेशों का भी अध्ययन करने का कष्ट करें।

भवदीय,

एम0 रामचन्द्रन,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 817(1)/XXIV(1)/2004, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तरांचल, हल्द्वानी–नैनीताल।
2–निदेशक, आम्रपाली इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड कम्प्यूटर एप्लीकेशन, हल्द्वानी।
3–निदेशक, सरस्वती इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, रुद्रपुर।
4–अध्यक्ष, मानव विकास चेरेटेबल मंच, रुड़की–हरिद्वार।
5–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

एम0 रामचन्द्रन,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 820/XXIV(1)/2004

प्रेषक,

एम0 रामचन्द्रन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी, नैनीताल।

2. निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरांचल।

3. निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तरांचल।

उच्च शिक्षा अनुभाग

देहरादून : दिनांक 20 अक्टूबर, 2004

विषय : मा0 उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित आदेश का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 उच्च न्यायालय में योजित होने वाली विभिन्न रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की सत्य प्रतिलिपियां प्रायः शासन में प्राप्त नहीं होती हैं। सम्बन्धित पक्षों द्वारा आदेश की छाया प्रति अपने प्रत्यावेदन

के साथ संलग्न कर उपलब्ध करायी जाती है जबकि किसी भी प्रकरण के निस्तारण के लिए सत्य प्रतिलिपि का होना आवश्यक है। कतिपय प्रकरणों में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में कोई सूचना शासन में प्राप्त नहीं होती है पारित आदेश में निर्धारित सीमा समाप्त होने के पश्चात् अवमानना नोटिस प्राप्त होती है। विभाग द्वारा भी न्यायालय के प्रकरणों में समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है, मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की छाया प्रति को पत्र के माध्यम से सामान्य रूप से भेज दिया जाता है जबकि न्यायालय के प्रकरणों पर व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही करायी जानी चाहिए।

2–अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में विभिन्न रिट याचिकाओं में पैरवी करने के लिए विभाग द्वारा किसी अधिकारी को नामित किया जाय तथा उसका यह उत्तरदायित्व होगा कि वह मा0 न्यायालयों से सम्बन्धित विभिन्न प्रकरणों के सम्बन्ध में वस्तु स्थिति से शासन को समयबद्ध रूप से अवगत कराते हुए मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की सत्य प्रतिलिपि ही उपलब्ध करायेंगे। ऐसे प्रकरणों जिनमें शासन द्वारा याची के प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जाना हो, के सम्बन्ध में प्रत्येक माह के द्वितीय शुक्रवार को वस्तु स्थिति से शासन को अवगत कराते हुए समीक्षा भी नामित अधिकारी द्वारा करायी जायेगी, जिसमें सम्बन्धित अधिकारी द्वारा यह भी उल्लेख किया जायेगा कि सम्बन्धित माह तक कितनी याचिकाओं में पारित आदेशों के क्रम में कार्यवाही की जानी है। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए सम्बन्धित विभाग के नामित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नामित अधिकारी का विवरण शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

एम0 रामचन्द्रन,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 820(1)/XXIV(1)/2004, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–कुल सचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर।

2–कुल सचिव, कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल।

3–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

एम0 रामचन्द्रन,
अपर मुख्य सचिव।